न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 02/2018

बउनवान

राज्य सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक, बारां(राज.) **(प्रार्थी)**

बनाम

श्री ललित राठोर पुत्र श्री राजेन्द्र राठोर, गणेश मेटल के पास, मॉगरोल बाईपास, बारां

(अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 धारा, 6(ए) के तहत

उपस्थिति :–1. पेरोकार रसद **(प्रार्थी)**

2. श्री गजेन्द्र कुमार पंचौली,अभिभाषक **(अप्रार्थी)**

निर्णय दिनांक– 27.03.2019

1– प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, बारां ने इस्तगासा विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर इस्तगासे में अंकित किया है कि दिनांक 28.03.2018 को बारां शहर में घरेलू गैस सिलेण्डरों के बढ़ते व्यवसायिक उपयोग एवं अवैध रिफलिंग की मुखबीर शिकायत पर श्री राजेन्द्र राठोर पुत्र श्री भैरूलाल राठोर, गणेश मेटल के पास, मॉगरोल बाईपास बारां स्थित रिहायसी मकान पर पहुॅचकर जॉच की। मौके पर उसका पुत्र श्री ललित कुमार उपस्थित मिला जिनके सामने उनका मकान खुलवाकर गैस सिलेण्डरों की जॉच की गई। जॉच के दौरान रिहायशी मकान पर मौके पर 13 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 के.जी.) एक व्यवसायिक गैस सिलेण्डर (19 के.जी.) 2 सिलेण्डर 5 के.जी. एवं एक अमानक छोटा सिलेण्डर पाया गया। इसके अतिरिक्त गैस रिफंलिग में प्रयुक्त होने वाले यंत्र जिनमें 3 बांसुरी, 2 पाईप के जरिये गैस ट्रांसफर कन्डक्टर एक प्लास्टिक पाईप मिला। इसके अतिरिक्त सिलेण्डर के वाशर 3 छोटे रेग्युलेटर, 5 पाना, एक पेंचकस, 18 सिलेण्डर प्लास्टिक केप एवं 17 गैस डायरी पायी गयी। इस पर उपस्थित ललित राठोर से पूछताछ की गई उसके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया तथा इतने सिलेण्डरो के भण्डारण संबंधी मौके पर कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये गये। इससे स्पष्ट है कि इस रिहायशी मकान मालिक द्वारा रिहायशी क्षेत्र में गैस की अवैध [illegible] करने से स्थानीय निवासियों के जानमाल का खतरा उत्पन्न हो सकता है। [illegible] पाये गये गैस सिलेण्डरो का विवरण निम्न प्रकार है।

[illegible]	सिलेण्डर का एस.आ.नं0	कम्पनी	सिलेण्डर पर उपदर्शित एल.पी.ली. का मानक भार	खाली सिलेण्डरो का टेयरवेट	भौति सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एल.पी.जी	शुद्ध गैस का भार
1	118041 T	HPCL	14.2	16.0	30.0	14.0
2	382573 S	HPCL	14.2	15.7	28.7	13.0
[illegible]	184630 T	HPCL	14.2	15.8	30.0	14.2
[illegible]	39065 S	HPCL	14.2	16.0	30.2	14.2
5	374601 S	HPCL	14.2	15.8	29.74	13.94

सत्यमेव जयते
जिला कलक्टर बारां (राज०)
Web Copy - Not Official

6	125500 S	HPCL	14.2	16.4	30.70	14.3
7	60381 S	HPCL	14.2	15.8	30.0	14.2
8	325903 T	HPCL	14.2	15.3	29.3	14.0
9	497997 S	HPCL	14.2	15.9	30.0	14.1
10	174868 T	HPCL	14.2	16.0	30.2	14.2
11	282518 T	HPCL	14.2	15.8	15.8	0.0
12	766926 S	HPCL	14.2	15.9	18.2	2.3
13	32395 S	HPCL	14.2	14.2	15.8	0.0
14	097873 S	HPCL	14.2	15.8	15.8	0.0
15	33155 S	HPCL	5.0	8.5	8.7	0.2
16	32743 S	HPCL	5.0	8.6	8.6	0.0
17	अमानक	HPCL	4.0	-	-	-
	Total					150.34

जप्तशुदा 17 गैस डायरियों का विवरण निम्नानुसार है–

क0सं0	उपभोक्ता क्रमांक	उपभोक्ता का नाम	गैस एजेन्सी का नाम	कनेक्शन का प्रकार
1	508587	केलाबाई / मोहनलाल	बारां गैस सर्विस	घरेलू
2	532820	प्रकाशचंद / भैरूलाल	बारां गैस सर्विस	घरेलू
3	515256	प्रेमनारायण चौरसिया	बारां गैस सर्विस	घरेलू
4	527600	नाथूलाल राठोर	बारां गैस सर्विस	घरेलू
5	532037	सुरेन्द्र कुमार / भैरूलाल	बारां गैस सर्विस	घरेलू
6	515842	बृजमोहन / गजानन्द	बारां गैस सर्विस	घरेलू
7	535021	दुर्गालाल / रामनारायण	बारां गैस सर्विस	घरेलू
8	102628	छीतरलाल / देवलाल	राज एच.पी. बारां	घरेलू
9	100479	सहजादअली / सलीम	राज एच.पी. बारां	घरेलू
10	103975	रामचन्द्र / गंगाराम	राज एच.पी. बारां	घरेलू
11	102179	फूलचंद कुम्हार	राज एच.पी. बारां	घरेलू
12	102573	बद्रीलाल / लटूरलाल	राज एच.पी. बारां	घरेलू
13	103065	रविकांत / बृजमोहन	राज एच.पी. बारां	घरेलू
14	100498	हरीशकुमार / देवीकिशन	राज एच.पी. बारां	घरेलू
15	104726	किशनलाल / नाथूलाल	राज एच.पी. बारां	घरेलू
16	101919	राजाराम / गणपत	राज एच.पी. बारां	घरेलू
17	खाली डायरी			

[illegible] गैस डायरियों से प्रतीत होता है कि श्री ललित कुमार द्वारा [illegible] गैस की डायरियाँ लेकर, उनसे गैस भरवाकर अन्य सिलेण्डरो में [illegible] लिंग की जाती है, जो गैर कानूनी कृत्य है। इस प्रकार घरेलू गैस सि[illegible] किग्रा. का व्यवसायिक उपयोग कर उक्त रिहायशी मकान मालिक ने राजस्थान [illegible] उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित [illegible] गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) [illegible] है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2— अप्रार्थी द्वारा अवैध रिफरिंग के कृत्य को मध्यनजर रखते हुये, 17 गैस सिलेण्डरों को मय गैस, गैस रिफलिंग में प्रयुक्त यंत्र जिनमें 3 बांसुरी, 2 पाईप के लिये गैस ट्रांसफर कन्डक्टर, एक प्लास्टिक पाईप, सिलेण्डर के वाशर, 3 छोटे रेग्यूलेटर, 5 पाना, एक पेचकस, 18 सिलेण्डर प्लास्टिक केप को जप्त सरकार कर रूबरू मौतबिरान श्री भॅवरसिंह पुत्र अखेराज सिंह नि. अभिमन्यु बिहार कॉलोनी हाल प्रतिनिधि मै. राज एचपी गैस एजेन्सी बारां की सुपुर्दगी में दिये गये तथा गैस डायरी वास्ते जॉच व रेकार्ड कार्यालय रेकार्ड में ली गयी। अतः प्रार्थी द्वारा इस्तगासा पेश कर जप्तशुदा गैस सिलेण्डरो को मय 150.34 किग्रा. गैस एवं उपरोक्त वर्णित अवैध रिफलिंग की सामग्री को नियमानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राजसात किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

3— प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी के उपस्थित आने पर अप्रार्थी ने अपने समर्थन में दिनांक 11.06.2018 को जवाब इस्तगासा पेश किया गया।

3— अप्रार्थी ने अपने जवाब में लिखा है कि अप्रार्थी ने प्रवर्तन अधिकारी को मौके पर पूर्णतया संतोषजनक जवाब दिया गया था। परन्तु मनगढ़न्त तथ्यों का सहारा लेकर अवैध रिफलिंग गैस का कार्य करना तथा स्थानीय निवासियों के जान माल का खतरा उत्पन्न होना काल्पनिक कहानी अंकित की है। जॉच अधिकारी ने मौके पर किसी स्थानीय निवासी को बुलाकर पूछताछ नहीं की। ना हीं अवैध रिफलिंग करने की कोई साक्ष्य जुटायी है। अप्रार्थी ने मौके पर जॉच अधिकारी को बताया था कि जिनके सिलेण्डर है उनको बुलवाता हूॅ वे हमारे परिवारजन एवं मिलने वाले है। गैस सिलेण्डरों को ले जाने के लिये रखे गये है। प्रार्थी द्वारा उसपर अन्य व्यक्तियों को गैस की डायरिया लेकर व गैस भरवाकर, ऊंची दर पर रिफलिंग करने का जो आरोप लगाया गया है। इस संबंध डायरी उपभोक्ताओं से पूछताछ नहीं की है। उसपर लगाये गये किसी भी आरोप की कोई पुष्टि नहीं होती है। गैस सिलेण्डरो में कूकिंग गैस कम्प्रेस्ट एवं स्टोर्ड गैस सिलेण्डरो में होती है जो द्रवित पेट्रोलियम गैस नहीं है। इसलिये उनकर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) के प्रावधान लागू नहीं होते है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे की कार्यवाहीं निरस्त फरमायी जाकर, जप्तशुदा गैस सिलेण्डरों एवं अन्य सामग्री को अप्रार्थी को लोटाया जावे।

4— प्रकरण में अप्रार्थी का जवाब प्राप्त होने पर, बहस विद्वान पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी अभिभाषक सुनी गयी।

5— बहस के दौरान विद्वान पेरोकार सरकार ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि बारां शहर में गैस सिलेण्डरों से गैस रिफलिंग के मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर, अप्रार्थी के रिहायशी मकान पर गठित दल के साथ छापा मारा गया। मौके पर रिहायशी मकान में 13 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 के.जी.) एक व्यवसायिक गैस सिलेण्डर (19 के.जी.) 2 सिलेण्डर 5 के.जी. एवं एक अन्य छोटा सिलेण्डर पाया गया एवं गैस रिफलिग में प्रयुक्त होने वाले यंत्र

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिनमें 3 बांसुरी, 2 पाईप के जरिये गैस ट्रांसफर कन्डक्टर एक प्लास्टिक पाईप मिला। इसके अलावा सिलेण्डर के वाशर 3 छोटे रेग्युलेटर, 5 पाना, एक पेचकस, 18 सिलेण्डर प्लास्टिक केप एवं 17 गैस डायरी मौके पर मिली। मौके पर उपस्थित अप्रार्थी से पूछताछ की गयी। किन्तु अप्रार्थी द्वारा इन गैस सिलेण्डरों एवं उपलब्ध सामानों के संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। ना हीं उपलब्ध गैस डायरियों के संबंध में कोई प्रतिउत्तर दिया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा उपलब्ध गैस डायरियों से गैस ऐजेन्सी से घरेलू गैस सिलेण्डर प्राप्त कर, उन सिलेण्डरों से अवैध रूप से ऊंची दर से रिफलिंग की जाती है, जो घोर कानूनी अपराध है। अप्रार्थी का रिहायशी मकान घनी आबादी में है। अप्रार्थी द्वारा किये जा रहे अवैध गैस रिफलिंग कार्य से कभी भी जान माल का खतरा उत्पन्न हो सकता है। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों को व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया गया है जो राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है एवं दंडनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा 17 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस 150.34 किग्रा. एवं वर्णित सामान को राजसात किया जावे।

6— इसके विपरीत विद्वान अप्रार्थी अभिभाषक ने पेरोकार रसद के कथन का खण्डन करते हुये व्यक्त किया कि अप्रार्थी के रिहायशी मकान से रसद विभाग द्वारा गैस सिलेण्डर एवं अन्य सामान जप्त किये गये है। जप्ती के समय प्रार्थी द्वारा जो कारण बताये है एवं इस्तगासे में अंकित किये गये है, पूर्णतया असत्य, निराधार एवं तथ्यों पर आधारित नहीं है तथा गैरकानूनी है। अप्रार्थी के विरूद्व झूठी शिकायत पर पहले से हीं पूर्ण मानस बनाकर कार्यवाही की गयी है। कार्यवाहीं के दौरान अप्रार्थी उपस्थित था किन्तु अप्रार्थी के कथन पर कोई ध्यान नहीं दिया। समस्त कार्यवाहीं अप्रार्थी पर दबाव बनाकर की गयी है। अप्रार्थी ने वक्त निरीक्षण रसद विभाग [illegible] कि यह सिलेण्डर अप्रार्थी के नहीं है तथा जिन उपभो[illegible] यहॉ से जाने के लिये रखे गये है, उन उपभोक्तओं को [illegible] उसपर कोई गौर नहीं किया गया। कार्यवाहीं आनन फानन [illegible]र कार्यवाहीं के दौरान रसद विभाग ने न तो पडौसी व्यक्तियों [illegible] गयी है ना हीं स्वतंत्र साक्ष्य ली गयी है। मात्र सरकारी तथ्य जु[illegible] कार्यवाहीं गयी है। अप्रार्थी ने ऐसा कोई अवैध रिफलिंग एवं ऊंची दर पर सिलेण्डरों को बेचान करने का कोई कार्य नहीं किया गया है। गैस सिलेण्डरों के अलावा अन्य सामान यथा पाना, वाटर, बासूरी, पेचकस आदि की जप्ती बनायी गयी है [illegible] घरेलू आवश्यकता के सामान है जो किसी भी व्यक्ति के घर में [illegible] प्रकरण के साथ नहीं जोडा जा सकता।

7— [illegible] किया कि अप्रार्थी को घरेलू गैस सिलेण्डरों की रिफलिंग करने का दोषी मानकर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) के तहत कार्यवाही कर, धारा 6(ए) का प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। जबकि कूकिंग गैस [illegible] एवं स्टोर्ड गैस होती है। द्रवित गैस नहीं होती है। इस प्रकार इस्तगासे [illegible] नियमों को उल्लघंन बताया गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह नियम इस प्रकरण में लागू नहीं होते है। इस्तगासा कानून विरूद्व होने से प्रारम्भतः हीं शून्य है। इस प्रकरण के वास्तविक तथ्य यह है कि उक्त जप्तशुदा गैस सिलेण्डर अप्रार्थी के नहीं है। अप्रार्थी का रिहायशी मकान शहर के मध्य मुख्य रोड पर स्थित है। अप्रार्थी के परिवारजन एवं मिलने वाले जिनके घर पर गैस ऐजेन्सी का गैस वितरण वाहन घर पर नहीं पहुॅच पाता है, इसलिये उनके द्वारा अप्रार्थी के रिहायशी मकान पर होम डिलेवरी ली जाती है, जो अपनी सुविधानुसार अपने–अपने गैस सिलेण्डरों ले जाते है। उसके विरूद्व गैस रिफलिंग का जो आरोप लगाया गया है, वह पूर्णतया मनगठन्त एवं झूठा है। मौके पर मात्र कयास के अतिरिक्त ऐसा कोई साक्ष्य रसद विभाग को नहीं मिला जिसके आधार पर अप्रार्थी को दोषी ठहराया जावे। कयासों एवं तथ्यों के अभाव में अप्रार्थी को दोषी नहीं माना जा सकता।

8— हमने विद्वान पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी अभिभाषक को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, बारां द्वारा दिनांक 28.03.2018 को शिकायत पर अप्रार्थी के रिहायशी मकान पर मौके पर 13 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 के.जी.) एक व्यवसायिक गैस सिलेण्डर (19 के.जी.), 2 सिलेण्डर 5 के.जी. एवं एक अमानक छोटा सिलेण्डर, गैस रिफंलिग में प्रयुक्त होने वाले यंत्र जिनमें 3 बांसुरी 2 पाईप के जरिये गैस ट्रांसफर कन्डक्टर एक प्लास्टिक पाईप, सिलेण्डर के वाशर 3 छोटे रेग्युलेटर, 5 पाना, एक पेचकस, 18 सिलेण्डर प्लास्टिक केप एवं 17 गैस डायरी जो भिन्न–भिन्न उपभोक्ताओं के नाम की मिली है जिन्हे जप्त कर राजसात किये जाने हेतु निवेदन किया है। जबकि अप्रार्थी का कथन रहा है जप्तशुदा गैस सिलेण्डरों की उसके द्वारा रिफलिंग नहीं की गयी है। अवैध रिफलिंग के संबंध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य नहीं है मात्र कयास के आधार पर इस्तगासा तैयार किया गया है तथा जिस कानून में इस्तगासा पेश हुआ है। इस प्रकरण में लागू नहीं होता है, इसलिये इस्तगासा निरस्त किया जावे।

9— [illegible] पत्रावली का अवलोकन करने से पाया जाता है कि अप्रार्थी के [illegible] सिलेण्डर एवं अन्य रिफलिंग करने का सामान पाया गया है [illegible] अप्रार्थी ने वक्त निरीक्षण अपने समर्थन को कोई संतोषप्रद ज[illegible] है। मौके पर बारां शहर के अलग–अलग उपभोक्ताओं [illegible] अप्रार्थी के पास पायी गयी है जिसके संबंध में भी अप्रार्थी ने कोई संतोषप्रद जवाब पेश नहीं किया गया है। इसप्रकार स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा अनैतिक लाभ प्राप्ति के लिये गैस सिलेण्डरों की डायरियों से उपभोक्ताओं के गैस सिलेण्डर प्राप्त कर, उक्त सिलेण्डरों को उपकरणों जो जप्ती के दौरान पाये ग[illegible] ऊंची दर पर अवैध रिफलिंग की जाती है। घरेलू गैस अत्यन्त [illegible] जिसकी अवैध रिफलिंग करने से, जान माल को कभी भी ख[illegible] किसी भी सूरत में इन्कार नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी द्वारा [illegible] रिफलिंग का कृत्य घोर कानूनी अपराध एवं दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10— परिणामस्वरूप, प्रार्थी पेरोकार रसद द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जप्तशुदा 13 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 के.जी.) एक व्यवसायिक गैस सिलेण्डर (19 के.जी.) 2 सिलेण्डर 5 के.जी. एवं एक अमानक छोटा सिलेण्डर एवं गैस रिफंलिग में प्रयुक्त होने वाले यंत्र जिनमें 3 बांसुरी, 2 पाईप के जरिये गैस ट्रांसफर कन्डक्टर एक प्लास्टिक, सिलेण्डर के वाशर 3 छोटे रेग्युलेटर, 5 पाना, एक पेचकस को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा गैस सिलेण्डरों एवं अन्य सामानों को अंतरिम सुपुर्दगीदार से प्राप्त कर, नियमानुसार उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों को संबंधित कम्पनी एच0पी0 में जमा कराकर, रसीद प्राप्त करे तथा अन्य सामान को खुली नीलामी में विक्रय कराकर, प्राप्त आय को राजकीय राजसात मद में जमा करावे।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official